

कार्यालय:- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ
पत्रांक/एन0ओ0सी0/

आंशिक संशोधन आदेश

/2023-24

दिनांक: 15

03
24

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-एन0ओ0सी0/16983/गं0रा10/संख्या(336)/2024 मेरठ दिनांक 14-03-2024 द्वारा The Shree Ram Universal School, Plot No-H.S-03, Sector-Techzone-4, Greater Noida West Distt. Gautam Budh Nagar को सी0वी0एस0सी0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 14-03-2024 में अंकित विद्यालय के नाम में इस सीमा तक आंशिक संशोधन किया जाता है कि "Shree" के स्थान पर "Shri" पढ़ा जाय, शेष यथावत् रहेगा।

(ओंकार शुक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृ०सं०/एन0ओ0सी0/ 17/30-37 /2023-24 तद दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
- (2) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (5) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (6) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (7) प्रबन्धक, The Shri Ram Universal School, Plot No-H.S-03, Sector-Techzone-4, Greater Noida West Distt. Gautam Budh Nagar.
- (8) गार्ड फाईल।

15/03/24

(ओंकार शुक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

15/3/24

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

सशिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, रामवाय केन्द्र
प्लॉट विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/एन०ओ०सी०/16963

मेरठ दिनांक 14-03-2024

विषय :- The Shree Ram Universal School, Plot No-H.S-03, Sector-Tech Zone-4, Greater Noida West Distt. Gautam Budh Nagar को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति एवं शासनादेश संख्या-2144/15-7-2020-1(34)/2020 दिनांक 07 जनवरी 2021 के क्रम में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 26-02-2024 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में The Shree Ram Universal School, Plot No-H.S-03, Sector-Tech Zone-4, Greater Noida West Distt. Gautam Budh Nagar को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।

- (ए) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
- (इ) विद्यालय का रिकॉर्ड प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (अ) उपर्युक्त क्रम 'क' से 'घ' में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विद्यालय की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
- (उ) उपर्युक्त क्रम 'क' से 'अ' तक के प्रतिबन्धों को सीसाइटी के बाइपासित व सर्वप्रथम करना अनिवार्य होगा।
- (उ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करने सुनिश्चित किया जाये।
- (ड) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की युक्त या शिथिलता दर्शायी जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-16963 /2024 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (6) प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, The Shree Ram Universal School, Plot No-H.S-03 Sector-Tech Zone-4, Greater Noida West Distt. Gautam Buch Nagar.
- (7) गार्ड फाईल।

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ।